न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

ग संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
2022	09.06.2022	12.06.2024
	उनवान	

सूरजमल जीनगर पुत्र श्री रामेश्वर जाति जीनगर आयु 51 वर्ष निवासी 10 बी 32 तिलकनगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम वादी

प्रहलादराय पुत्र श्री सुन्दर लाल कोली जाति कोली आयु वयस्क निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलावड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
पुखराज पुत्र श्री गुलाब कोली जाति कोली आयु वयस्क निवासी तेली मोहल्ला, शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राज0
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन
प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल गाडरी
प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित नहीं

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 जस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं.

प्रकरण में प्रतिवादी कम 1 प्रहलाद राय कोली की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कित किया है कि आराजी संख्या 167 रकबा 4.0900 हैक्टयर ग्राम हलेड तहसील व जिला लवाडा श्री कन्हैयालाल जी के निधन दिनांक 12.12.2011 से निरन्तर कन्हैयालाल जी की जिकृत वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद राय कोली के आधिपत्य एवं धिकार में चली आ रही है। प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय आदेश दिनांक 8.12.2014 से म हलेड की उक्त आराजी नामांतरण संख्या 2278 दिनांक 20.07.2022 को अपास्त कर उक्त राजी को पुनः मृतक काना पिता उदा कोली निवासी भीलवाडा के द्वारा निस्पादित पंजीकृत सीयत दिनांक 07.04.2011 के आधार पर प्रतिवादी कम संख्या 1 प्रहलाद राय कोली के नाम नामांतरण खोले जाने का आदेश हुआ। जिसके आधार पर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ांतरण प्रतिवादी कम संख्या 1 प्रहलाद राय कोली के नाम पर खोलने का आदेश दिनांक .06.2021 को दिया गया। जिसके आधार पर दिनांक 27.7.2021 को नामांतरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खोला जाकर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद राय कोली के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज हुई । वादी का यह वाद Res Tudicata के आधार पर चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कन्हैयालाल कोली ने पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.04.2011 को की उसके पश्चात उसने कोई वसीयत नहीं की तथा कथित वसीयत फर्जी व बनावटी है जिसके सम्बंध में कोई भी निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है अतः इस आधार पर भी माननीय न्यायालय श्रीमान को यह वाद सुनने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र. को आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. में निरस्त करवाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब
की ओर से अंकित कर प्रस्तुत किया है कि ग्राम हलेड तहसील व जिला भीलवाडा के
ी सं. 167 रकबा 4.0900 हैक्टेयर का रेकॉर्डेड खातेदार स्व. कन्हैयालाल कोली होकर
की वसीयतकर्ता केलीबाई कोली के पति जिनका निधन दिनांक 12.12.2011 को हो चुका
क्त जमीन का नानान्तरण पत्नी केली बाई के नाम दिनांक 08.12.2012 को ग्राम पंचायत
द्वारा स्वीकृत किया गया, तब से ही केली बाई उक्त जमीन की बतौर मालिक काबिज
आ रही है। वादी की वसीयतकर्ता केलीबाई व प्रतिवादी सं 01 प्रहलादराय कोली के
वेन्शन बढाने का बहाना कर धोखे से बनायी वसीयत को लेकर विवाद होने पर न्यायालय
ण्ड अधिकारी भीलवाडा के यहां उक्त नामान्तरण की अपील संख्या 04/2014 दर्ज होकर
न की सुनवाई कर दिनांक 08.12.2014 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम पंचायत हलेड के
ा की अपील को रिमाण्ड करते हुए तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश के साथ प्रेषित किया
विरासत की विधिवत जांच कर मृतक कन्हैया पिता उदा कोली साकिन भीलवाडा की
सत में पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे परन्तु तहसीलदार भीलवाडा द्वारा उक्त
श की कोई पालना निर्णय दिनांक 08.12.2014 से दिनांक 21.06.2021 तक 6 वर्ष तक
न्तरण की कोई कार्यवाही पत्रावली पर नहीं की व वादी की वसीयतकर्ता केली बाई की
दिनाक 24.01.2021 को हो जाने के बाद आनन फानन में राजस्व कर्मचारियों से
भगत कर यह जानते हुए कि केली बाई की मृत्यु दिनांक 24.01.2021 को हो चुकी है।
भी एकतरफा आदेश दिनांक 21.06.2021 को बाबत खोले जाने नामान्तरण का प्रतिवादी
01 के पक्ष में दिनांक 21.06.2021 को नामान्तरण खोल दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य
निष्प्रभावी है क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई निर्णय विधि में पारित नहीं किया जा सकता
प्रतिवादी सं. 01 प्रहलाद राय दिनांक 11.06.2021 को तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष एक
ा शपथपत्र सत्यापित कर पेश किया कि न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
कि उक्त प्रकरण वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 भीलवाडा में प्रकरण सं.
/2015 ई.दी. विचाराधीन होकर प्रतिवादी की तथाकथित वसीयत से वादग्रस्त सम्पति में
ई अधिकार अर्जित नहीं हुए है ना ही इसका किसी भाग पर कब्जा है। उक्त विवाद बिन्दु
यालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को विवाद बिन्दु बनाया जाकर विवाद बिन्दु सं. 04 है
समें वादीया की वसीयतकर्ता केली बाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल का शपथपत्र भी प्रस्तुत
या गया है जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति मे 'नामान्तरण दिनांक 27.07.
21 प्रतिवादी सं. 01 के पक्ष में खोला गया जो विधि विरूद्ध होकर शून्य है एवं तथाकथित
सीयत प्रतिवादी सं. 01 प्रहलादराय के पक्ष में बतायी गयी है वह प्रारम्भ से ही अवैध होकर
क वेस्ट पेपर है जिससे प्रतिवादी सं. 01 को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।
मान्तरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिंडिंग है जिससे कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं
ता है एवं उक्त नामान्तरण को किसी पक्षकार को न्यायालय में चेलेन्ज करने का कानूनी हक
अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का
है जबकि उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 एक नामान्तरण
की अपील है ना कि नियमित दावा है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण Res Judicata के
प्रावधानों से प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दिनांक 2022 एवं इस प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.12.2022 का अध्ययन गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जात का भलीभांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 167 4.0900 है0 भूमि मृतक काना पुत्र उदा कोली के नाम पर दर्ज होकर इसकी दिनांक 2011 को लाऔलाद मृत्यु हो गई। काना की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी केली बाई त्र जीवित उतराधिकारी होने से नामान्तकरण विरासत से दर्ज किया। काना ने अपने काल में अपनी पत्नी केली बाई के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 11.10.2011 को कर दी इस कारण केली बाई के नाम विरासत से नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी मे अंकन या। केली बाई की वृद्धावस्था व बिमार होने से सूरजमल जीनगर के द्वारा केली बाई के की कृषि भूमि को 500 रूपये के स्टाम पर दिनांक 28.05.2019 को अपने नाम पर त लिखी जाकर भूमि का कब्जा वादी को केली बाई के जीवन काल में ही सुपुर्द करना त कर दिया। केली बाई की मृत्यु दिनांक 24.01.2021 को हुई। वसियत प्रभाव में आने के वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार जरिये वसियती है। वसियत के आधार पर तेदार काश्तकार घोषित किए जाने की घोषणात्मक डिक्री चाही गई।

काना पिता उदा कोली की मृत्यु के पश्चात काना की विरासत में नामान्तकरण संख्या 78 ग्राम पंचायत हलेड द्वारा केली बाई बेवा काना के नाम पर दिनांक 20.07.2012 को ीकृत किया गया। इस नामान्तकरण की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के हां हुई। जिसमें अपील प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय दिनांक 08.12.2014 से ग्राम पंचायत लेड के आदेश दिनांक 22.07.2012 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को मांड किया गया। इस आदेश के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा ने प्रकरण संख्या 2/2015 अनवान प्रहलाद राय कोली बनाम केली बाई कोली में सुनवाई की जाकर दिनांक 1.06.2021 को यह आदेश पारित किया है कि ग्राम हलेड तह0 भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 67 रकबा 4.09 (1.1254 है0) मृतक काना पिता उदा कोली की बजाय श्री प्रहलादराय पिता ुन्दरलाल कोली निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाड़ा के नाम किए जाने के आदेश दिए जाते । इस आदेश के अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 3071 से ग्रम हलेड़ के आराजी नम्बर 167 त्रफल 1.1254 है0 भूमि प्रहलादराय पुत्र सुन्दर लाल कोली के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रदत्त की गई। जबकि वादी ने अपना वादपत्र वसियतनामा दिनांक 28.05.2019 जो नोटेरी से प्रमाणित है के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी कराने की प्रार्थना करते हुए वर्तमान खातेदार का नाम विलोपित कराने की प्रार्थना की है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में काना पुत्र उदा कोली ने अपने जीवन ाल में प्रहलाद राय पुत्र सुन्दर लाल कोली के पक्ष में दिनांक 07.04.2011 को एक वसियतनामा दिनांक 07.04.2011 को रजिस्टर्ड कराया। काना पुत्र उदा कोली की मृत्यु दिनांक 12.12.2011 को होने के पश्चात प्रहलादराय के नाम पर वसियत के आधार पर इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा 21.06.2021 को पारित किये गये, जो विधि सम्मत है। वसियतनामा दिनांक 28.05.2019 श्रीमति केली बाई कोली द्वारा वादी सूरजमल जीनगर के पक्ष में की गई है, जो नोटेरी से प्रमाणित है, जो फ्रॉड की श्रेणी में है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में काना पुत्र उदा कोली से प्रहलादराय पुत्र सुन्दरलाल कोली के पक्ष में वसियतनामा दिनांक 07.04.2011 को पंजीयन हुआ। इसके पश्चात काना पुत्र उदयराम कोली से श्रीमती केली बाई पत्नी काना कोली के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 11.10.2011 निष्पादन होकर नोटेरी से प्रमाणित है। तीसरा वसीयतनामा दिनांक 28.05.2019 जो केली बाई से सूरजमल जीनगर के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

...ष्पादन होकर नोटेरी से प्रमाणित है, तीनों वसीयतनामों में से दिनांक 07.04.2011 को ... रजिस्टर वसीयतनामा विधी सम्मत है। जबकि वसीयतनामा दिनांक 28.05.2019 जो ... प्रमाणीत है, इसके आधार पर वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधी ...। प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 का ... विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरता है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत वादी का अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 ए0 का विधी विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतएव

—:आदेश:—

प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का ... किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 ए0 का खारिज जाता है। खर्चा—फरिकेन अपना—अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी करे। निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1. सूरजमल जीनगर पुत्र श्री रामेश्वर जाति जीनगर आयु 51 वर्ष निवासी 10 बी 32 तिलकनगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. प्रहलादराय पुत्र श्री सुन्दर लाल कोली जाति कोली आयु वयस्क निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलावड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पुखराज पुत्र श्री गुलाब कोली जाति कोली आयु वयस्क निवासी तेली मोहल्ला, शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं वापत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. टि.ए. में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य. प्र. सं.

प्रकरण संख्या 88/2022 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री महावीर जांगीड़, प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 12.06.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है।

प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 ए0 का खारिज किया जाता है। खर्चा–फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा